

राजस्थान सरकार

उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक: प 21(40)नि.उ./राबामि/जिला/2019-20/

दिनांक:

सहायक निदेशक उद्यान,
अलवर

विषय:-मिशन फॉर इन्टीग्रेटेड डवलपमेन्ट ऑफ हॉर्टीकल्चर उप योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों में आंशिक संशोधन बाबत।

प्रसंग:-आपका पत्र क्रमांक 3931 दिनांक 17.03.2020

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में मिशन फॉर इन्टीग्रेटेड डवलपमेन्ट ऑफ हॉर्टीकल्चर उप योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु समसंख्यक पत्रांक 2131-2209 दिनांक 12.07.2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में संरक्षित कृषि कार्यक्रम के विन्दु (ख) प्लास्टिक मल्टिंग (पेज संख्या 21) में मल्ट शीट की लागत 16000/- रुपये प्रति हेक्टर के स्थान पर लागत 32000/- रुपये प्रति हेक्टर पढा जावे।

— स —
आयुक्त उद्यानिकी
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प 21(40)नि.उ./राबामि/जिला/2019-20/ 10237-10269
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

दिनांक: 13-03-2020

1. संयुक्त निदेशक उद्यान, खण्ड जयपुर/जोधपुर/कोटा।
2. उप निदेशक उद्यान (सांख्यिकी), उद्यान आयुक्तालय, जयपुर।
3. उप निदेशक उद्यान, खण्ड, भरतपुर/बीकानेर /भीलवाडा/जालौर/श्रीगंगानगर।
4. उप निदेशक उद्यान, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा।
5. सहायक निदेशक उद्यान, अजमेर/बांरा/बांसवाडा/बाडमेर/बूंदी/ भीलवाडा/चित्तौडगढ/डूंगरपुर/ झुन्झुनू/झालावाड/जैसलमेर/जालौर/करोली/नागौर/पाली/सवाईमाधोपुर/श्रीगंगानगर/सिरोही/ टोंक।

अतिरिक्त निदेशक उद्यान
राजस्थान, जयपुर